

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडापा जिला झालवाड राज0

हस्ताक्षर

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत। शिविर प्रभारी

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम बांसखोडी जमाबंदी सं 2073-76 के खाता सं 393 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खाते की खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
	शंकेट पुत्र कचकु जाति-बमार सा.पेह	393	जाति -बमार	जाति मैथवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

1. बामरु पुत्र बाल्या मैथ बालखोडी बोरखोल
2. बोरखोल सिंह पुत्र बाल्या मैथ बालखोडी बोरखोल
3. _____
4. _____

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम बांसखोडी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। नजने आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
प0म0.डा.वा.भा.भा

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

भू0अ0नि0वृ0.....



रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोपगर सख्तगर

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वांसवेडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

[Signature]
तहसीलदार
पिडावा जि. झालावाड

आरेख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 192

दिनांक : 26/09/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वांसवेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा जिला झालावाड राज०

